उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

UPPCL

संख्या–4829–औ0सं0/2018–66डब्ल्यू0बी0सी0/76 दिनांक 26 दिसम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं0–5344–WC/SEB(AS-XIX)88-66-WBC/76 दिनांक 30.11.1988 द्वारा कारपोरेशन के अधिकारियों/कर्मचारियों को रू0 25000 रू0 से 01.00 लाख तक अनुग्रह प्रतिकर धनराशि दिये जाने की नीति विद्यमान है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल की दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 को परिचालन के माध्यम से पारित निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन तथा उसकी सहयोगी वितरण निगमों/कम्पनियों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुग्रह प्रतिकर धनराशि का पुनर्निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :–

क्रम सं0	01.01.2016 से लागू सातवां वेतनमान की संरचना में वेतन मैट्रिक्स के अनुसार	अनुग्रह प्रतिकर की धनराशि
1	लेवल–1 से लेवल–5	रू0 50,000/–
2	लेवल–6 से लेवल–9	रू0 1,00,000/–
3	लेवल–10 से लेवल–11	रू0 1,50,000/–
4	लेवल–12 एवं उससे ऊपर के वेतन मैट्रिक्स	रू0 2,00,000/–

उक्त अनुग्रह धनराशि कर्मचारी/अधिकारी के धारित पद के अनुरूप होगी, समयबद्ध वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन (ACP) से निर्धारण नहीं होगा। आदेश सं0–5344–WC/SEB(AS-XIX)88-66-WBC/76 दिनांक 30.11.1988 की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

अनुग्रह प्रतिकर योजना का व्यय कारपोरेशन द्वारा अपने वित्तीय वर्ष के आय–व्यय बजट से किया जायेगा। अनुग्रह प्रतिकर योजना की धनराशि स्वीकृत करने हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, डिस्काम के निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), कारपोरेशन मुख्यालय स्तर पर मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (लेखा), तथा निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) अधिकृत होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–4829–औ0सं0/2018, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा/केस्को, कानपुर।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

Naf Mathu

6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (हाईडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
13. समस्त उप सचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्र सं0–773–पाकालि/बैठक/2018 दिनांक 21.12.2018 के सन्दर्भ में।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
16. कट फाइल।

Navt Mathur 26.12.18

(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी